

F.No.2021/Admin/RTI/1070(Appeal)

New Delhi, Dt.11.11.2021

Sh. Dheeraj Kumar Sharma
Village-Sithrouli, PO- Hathrash Junction
Hathrash

Sub: Disposal of 1st Appeal under the RTI Act, 2005.


Ref: Your Appeal dtd 06.10.2021 received in DFCCIL on 11.10.2021

Vide your appeal under reference you have appealed against non-supply of information.

It is found that the CPIO has already sent information vide this office letter even number dated 04.10.2021. However, a copy of the reply previously sent is being enclosed for your information please.

Hope you appreciate the position. Your appeal thus stands disposed off.

DA: As above.


GGM/Administration
Appellate Authority



डेडीकैटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India Ministry of Railways Enterprise

No.:ALD (W) EN/RTI/49 - (Vol IV)/1536

Date: 27.09.2021

एस. के. पाण्डा
जे.जी.एम/एडमिन (सी.पी.आई.ओ.)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
नई दिल्ली।

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत धीरज कुमार शर्मा द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में।

संदर्भ: प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र संख्या गिल दिनांक 11.09.2021।

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में वांछित सूचना सम्बन्धित विभाग को प्रतिप्रेषित की गयी थी, जिनके द्वारा उपरोक्त प्रत्येक सूचना के आधार पर आपको वांछित सूचना इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप अपने स्तर से प्रार्थी को अद्यतन कराने का कष्ट करें। वांछित सूचना का विवरण क्रमवार निम्नवत है:-

1. कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक/प्रयागराज (पश्चिम) के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 21 ट्रांसमिशन लाइन का विस्थापन UPPCL द्वारा किया गया है जिसकी विस्तृत सूचना UPPCL विभाग के पास है।
2. कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक/प्रयागराज (पश्चिम) के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 21 ट्रांसमिशन लाइन का विस्थापन पावर गिड कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है जिसकी विस्तृत सूचना पावर गिड कॉर्पोरेशन के पास है।
3. कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक/प्रयागराज (पश्चिम) के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 03 ट्रांसमिशन लाइन का विस्थापन डी.एफ.सी.सी.आई.एल. द्वारा किया गया है। प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना तृतीय व्यक्ति से सम्बन्धित है, अतः जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (3) के तहत सूचना नहीं है।

संलग्नक: (1) प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की मूलप्रति।

(2) सम्बन्धित विभाग द्वारा उपरोक्त कसबे में नोट की धाराप्रति।

(अजीत कुमार सिंह)
उप परि० प्र०/ए.पी.आई.ओ.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
प्रयागराज (पश्चिम)